प्रेस विज्ञप्ति

03.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम (जेआईआईयू) ट्रस्ट, यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य के खिलाफ विदेशी चंदे के संचालन और वितरण से जुड़े उल्लंघनों के आरोप में चल रही जाँच का एक हिस्सा के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 01/12/2025 को नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 9 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने थाना-अक्कलकुवा, जिला नंदुरबार द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0030/2025 दिनांक 11.02.2025 और आरोप पत्र दिनांक 11.04.2025 जिसमें अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह, खदेगा इब्राहिम कासिम अल-नाशेरी अल-खदामी की पत्नी खालिद इब्राहिम सालेह (दोनों येमिनी नागरिक), गुलाम मोहम्मद रंधेरा वस्तानवी (संस्थापक, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम) और अन्य को आरोपी बनाया गया है, के आधार पर जांच शुरू की। गुलाम मोहम्मद रंधेरा की अब मौत हो चुकी है।

आरोपी यमनी नागरिकों को उनके सह-आरोपियों द्वारा वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रहने में कथित तौर पर मदद की गई थी। सह-आरोपियों ने उन्हें आश्रय भी दिया और आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते खुलवाने में धोखाधड़ी की। जेआईआईयू ने कथित तौर पर अल-खदामी को मदरसा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया ताकि दानदाताओं को विदेशी कर्मचारियों का झूठा विवरण दिया जा सके और अधिक विदेशी धन आकर्षित किया जा सके।

पीएमएलए के तहत प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि जेआईआईयू को कुवैत, बोत्सवाना, यूके, मॉरीशस, स्विट्ज़रलैंड, सेशेल्स, पनामा आदि से लगभग 406 करोड़ रुपये का विदेशी दान (2014-15 से 2023-24 तक) प्राप्त हुआ। जेआईआईयू ने नकद में भी बड़ी राशि प्राप्त की और उसका उपयोग किया। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि दान की राशि को वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए गैर-अनुमोदित कार्यों में लगाया गया।

ज़ब्त किए गए साक्ष्य "संगठनात्मक स्व-वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोत्साहन" के दुरुपयोग का भी संकेत देते हैं, क्योंकि इसे अन्य ट्रस्टों/एनजीओ से भी दान प्राप्त हुआ है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने 15.07.2024 के अपने आदेश के तहत, जेआईआईयू का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था, क्योंकि पाया गया था कि ट्रस्ट विदेशी अंशदान राशि को अन्य गैर-एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ को हस्तांतरित करने में संलिप्त है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।